

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा - पत्र

उनवान

गोश अफ रोश

बनाम

परमेश्वर

किस्म मुकदमा..... धारा-223

अपील संख्या

2022/27

अभिभाषक अपीलांत श्री तवेरासिंह झाला

अभिभाषक रेस्पोंडेंट

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख अहकाम जो
इस हुकम की तामील में जारी
हुए

05-08-22

पत्रावली पेश हुई। अपीलांत व उनके अभिभाषक को रूक रूक कर तीन बार आवृत्ति लगावाई गई। फिर भी अनुपस्थित रहे। उनके द्वारा रेस्पोंडिंग गण की तलवी जरिये नोटिस सम्मन राजि. ए. डी. भी नहीं कराई गई है। अतः अनुपस्थित रहने के कारण तथा नोटिस सम्मन तामील नहीं कराये जाने के कारण पत्रावली अदम हाजरी, अदम पेशवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

श्री अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा



श्री त्वर सिंह झाला एडवोकेट
द्वारा दि. 28-01-22 को
पत्रादि P.O. साठे का पद
रिम्बट P.O. साठे के समक्ष
पत्रादि रोम्बट
SOCUMRAAKOTA
28-01-2022



रोड
वाद जारी रिपोर्ट
के।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवम् पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा
केम्प झालावाड़ (राज०)

अपील संख्या /2022

गणेश उर्फ रमेश आयु साल पुत्र जड़िया जाति भोई निवासी मल्हारगंज खेड़ी तहसील
गंगधार जिला झालावाड़ राज०अपीलान्ट

बनाम

1. परमेश्वर पुत्र काशीराम जाति भोई निवासी मल्हारगंज खेड़ी तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राज०
2. छोटूलाल पुत्र काशीराम जाति भोई निवासी मल्हारगंज खेड़ी तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राज०
3. राकेश पुत्र काशीराम जाति भोई निवासी मल्हारगंज खेड़ी तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राज०
4. चन्दा पुत्री काशीराम जाति भोई निवासी मल्हारगंज खेड़ी तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राज०
5. कस्तूरी बाई बैवा काशीराम जाति भोई निवासी मल्हारगंज खेड़ी तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राज० रेस्पोजेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.01.2022 उपखण्ड
अधिकारी गंगधार जो प्रकरण संख्या 00087/प्रार्थना पत्र/2016
उनवानी गणेश उर्फ रमेश बनाम परमेश्वर वगैराह में पारित किया गया।

मान्यवर,

निवेदन है, कि अपीलान्ट ने रेस्पोजेन्ट्स नं. 1 लगायत 5 के खिलाफ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गंगधार के यहा ग्राम मल्हारगंज तहसील गंगधार की आराजी खसरा नम्बर 148/2 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 150/3 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 241 रकबा 2.06 बीघा, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 253 रकबा 2.00 बीघा, खसरा नम्बर 254 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नम्बर 293 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नम्बर 594/3 रकबा 0.10 बीघा कुल 13 किता कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा बाबत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट दावा पेश किया। जिसमें एक स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट तथा आर्डर 39 रूल 1 व 2 तथा धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया। जिसमे प्रतिवादीगण (रेस्पोजेन्ट्स) की ओर से जवाब पेश किया गया तथा दोनो पक्षो की बहस सुनी गयी। तथा दिनांक 11.01.2022 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के खिलाफ निर्णय पारित कर दिया। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट निम्न कारणों से अपील पेश कर रहा है:-